बअदालत :–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

बईजलास :–रामरख मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–72/2016

1. रमनज्योत सिंह पुत्र मनदीप सिंह आयु 9 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता गुरविन्द्र कौर पत्नी श्री मनदीप सिंह जाति जटसिक्ख साकिन मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. गुरविन्द्र कौर पत्नी मनदीप सिंह जाति जटसिख साकिन मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. मनदीप सिह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख साकिन मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–प्रतिवादी

वाद घोषणात्मक हेतू

उपस्थितः–
1. श्री अनिल चोयल एडवोकट –वादीगण
2. श्री अनिल शर्मा एडवोकटे – प्रतिवादी

निर्णय दिंनाक 20.4.2017

निर्णय

वाद– पत्र के सक्षिप्त तथ्य प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण एंव प्रतिवादी के परिवार की विरास्तन कृषि भूमि मौका पर चक 13 ए. एम.पी के खाता सं. 74/34 एकल खाता में 6.832 है. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त समस्त कृषि भूमि विरास्तन कृषि भूमि है। तथा वादी सं. 1 के दादा कौर सिंह से प्रतिवादी को प्राप्त है तथा वादी सं. 1 मौका पर प्रतिवादी से अपनी माता प्राकृतिक संरक्षक वादी सं.2 के साथ के साथ अलग से निवास करता है, उक्त भूमि मे वादीगण का जन्म से प्राप्त हित व स्वत्व निहित है। उक्त खाता की असल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। कि उक्त चूकि विरास्तन कृषि भूमि है परन्तु मौका पर प्रतिवादी के नाम से है तथा वादी सं. 2 व 1 की प्रतिवादी के साथ जीवन– यापन करना विचारो की भिन्नता के कारण दुर्भर हो गया, इस कारण उक्त वादीगण कभी अपने पीहर बीकानेर व कभी मोरजण्ड सिखान मे रहते रहे है तथा अब मौका पर वादी सं. 1 की शिक्षा हेतू बठिडा राज्य पंजाब में रहती है तथा बराबर यहां आना जाना भी रहता है। इस कारण बिना कृषि भूमि के जो कि विरासतन है, एक दुसरे का भरण पोषण करने मे वादीगण असमर्थ है।द कि उक्त भूमि के बिना वादीगण का गुजर–बसर करना व वादी सं.1 की पढ़ाई–लिखाई करवाना अत्यधिक मुश्किल है, क्योकि प्रतिवादी उक्त कृषि भूमि की कमाई का दुरूपयोग करने लग गया है। समस्त आय का उपयोग व उपभोग अपनी निजी जरूरत,व्यस्नो पर खर्च करने लग गया है। प्रतिवादी की इन्ही आदतो के कारण वादी सं. 2 वादी सं. 1 को लेकर पृथक निवास करती है तथा प्रतिवादी अपनी माता के साथ पृथक

निवास करता है। वादीगण को उनकी मूलभूत जरूरतो हेतू भी विरास्तन कृषि भूमि की आय में हिस्सा देने से प्रतिवादी व उसकी माता ने इन्कार कर दिया इस कारण वादीगण व प्रतिवादी के मध्य अत्यधिक तनाव व मनमुटाव उत्पन्न हो गया तथा वादीगण व उनके ननिहाल पक्ष के लोग व प्रतिवादी एक दुसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू व आमदा हो गये जिस कारण गये जिस कारण दोनो पक्षो के रिश्तेदारों आदि ने वादीगण व प्रतिवादी मध्य समझाईश कर उक्त विरास्तन कृषि भूमि को लेकर इस बैशाखी पर बंटवारा व राज़ीनामा करवा दिया तथा उक्त राजीनामा में बाद बंटवारा वादीगण व प्रतिवादी को निम्न प्रकार से कृषि भूमि प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण बंटवारा के रोज से ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

(क) वादी सं. 1 रमनज्योत सिंह पुत्र मनदीप सिह उम्र 9 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता गुरविन्द्र कौर के हक हिस्सा व काब्जाकाश्त कर कृषि भूमि:–

चक 13 ए.एम.पी खाता सं. 74/36 में .506 है. कृषि भूमि

(ख) वादी सं. 2 गुरविन्द्र कौर के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 13 ए.एम.पी खाता सं. 74/36 में 3.289 है. कृषि भूमि

कि वादीगण बंटवारा के रोज से ही उक्त कृषि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है परन्तु उक्त विरास्तन कृषि भूमि जिसमें कि वादीगण का जन्म से प्राप्त हित व स्वत्व निहित है तथा वादी सं. 1 जन्म से हित होने के कारण व वादी सं. 2 के प्रतिवादी की पत्नी व वादी सं. 1 की माता व प्राकृतिक संरक्षका होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार विधिक् प्रावधानों के अनुसार हक व हिस्सा बनता है, परन्तु उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के नाम से दर्ज है तथा प्रतिवादी व उसकी माता पूर्णतया बदयन्ती पर है तथा वे एक दूसरे के प्रभाव में है तथा छोटी छोटी बातो पर वादीगण को, वादीगण की उक्त कृषि भूमि को विक्रय करने एंव बेखल करने की धमकी देते है। भविष्य में यदि प्रतिवादी अपने उक्त कृत्य में सफल हो जाता है तो वादीगण अपने विधिक व साम्पतिक अधिकारों से वचित हो जावेगे और वादीगण के हितो पर कुठाराघात होगा तथा वादीगण के जीवन पर व वादी सं. 1 के भरण–पोषण व शिक्षा पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। जबकि वादीगण उक्त कृषि भूमि को प्राप्त करने के विधिक रूप से अधिकारी एंव दावेदार है। वादीगण का उक्त कृषि भूमि में जन्म से प्राप्त हित व उत्तराधिकार विधिक अनुसार हक व स्वतव निहित है तथा बंटवारा के रोज से ही उनके कब्जाकाश्त में भी है। यदि प्रतिवादी अपने इस दुराश्य में सफल हो जाता है तो वादीगण को अपुर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी पुर्ति धन द्वारा नहीं की जा सकेगी। उक्त वर्णित परिस्थितियो में वादी उक्त कृषि भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी व दावेदार है ताकि प्रतिवादी उक्त कृषि भूमि में वादीगण के हितो को प्रभावित न कर सके। कि वादीगण ने उक्त परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी से उसको उक्त विरास्तन कृषि भूमि का बंटवारा व राजीनामा तथा कब्जाकाश्तनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का निवेदन किया तो वह पहले तो टाल मटोल करता रहा परन्तु गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गया। बस यही वाद कारण है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एंव प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से जवाबदावा पेश हुआ जो शामिल किया गया साक्ष्यवादीया में वादीया गुरूविन्द्र कौर का शपथ पेत्र पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है। इसलिए साक्ष्य वादी व प्रतिवादी बन्द की जाती है। वादी की शहादत समाप्त की।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के

70

27

...य है एवं प्रकरण में विरोधाभास नहीं होने के कारण वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। ...ल प्रतिवादीगण ने कथन किया कि तथा मेरे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए जवाबदावा पत्रावली एंव रिकार्ड का अवलोकन एंव मनन करने के वाद वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उक्त के आधार पर वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जावें कि वादी सं. 1 रमनज्योत सिंह पुत्र मनदीप सिह उम्र 9 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता गुरविन्द्र कौर के हक हिस्सा व काब्जाकाश्त कर कृषि भूमि चक 13 ए.एम.पी खाता सं. 74/34 में .506 है. कृषि भूमि व वादी सं. 2 गुरविन्द्र कौर के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि चक 13 ए. एम.पी खाता सं. 74/34 में 3.289 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार जमाबन्दी से मनदीप सिंह का हिस्सा कम किया जावें।

नियमानुसार पर्चा डिकी पृथक से जारी हो पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जा जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.4.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(समरख मीना)
सहायक क्लैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

डिगरी एवं मुकद्दमें इब्तादाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

बइजलास – रामरख मीना (आर.ए.एस.)

1. रमनज्योत सिंह पुत्र मनदीप सिंह आयु 9 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता गुरविन्द्र कौर पत्नी श्री मनदीप सिंह जाति जटसिक्ख साकिन मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. गुरविन्द्र कौर पत्नी मनदीप सिंह जाति जटसिख तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. मनदीप सिह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–प्रतिवादी

वाद घोषणात्मक हेतू

प्रकरण सं. 72/2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अनिल चोयल एडवोकेट मिन जामिन मुद्दई श्री अनिल शर्मा एडवोकेट मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी सं. 1 रमनज्योत सिंह पुत्र मनदीप सिह उम्र 9 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता गुरविन्द्र कौर के हक हिस्सा व काब्जाकाश्त कर कृषि भूमि चक 13 ए.एम.पी खाता सं. 74/34 में .506 है. कृषि भूमि व वादी सं. 2 गुरविन्द्र कौर के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि चक 13 ए.एम.पी खाता सं. 74/34 में 3.289 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार जमाबन्दी से मनदीप सिंह का हिस्सा कम किया जाता है।

निज ..... मुब्लिक ..... बाबत .....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.4.2017 को खुले न्यायालय में जारी किया गया

(रामरख मीना)
सहायक क्लैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया